बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
अधिसूचना

एस0 ओ0– पटना, दिनांक–

मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 19) की धारा–6 सह–पठित मजदूर संहिता (बिहार) नियमावली, 2026 के नियम–5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उन कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित करते हैं, जिनपर संहिता के प्रावधान लागू होते हैं।

अधिसूचना में अंकित अनुसूची–I के स्तंभ–1 के प्रदर्शित महिनों के लिए गणना तालिका है, जिसके आधार पर कृषि नियोजन में कार्यरत कामगारों के लिये अनुसूची– II के स्तंभ–2 में निर्धारित दर यथा प्रदर्शित होंगें।

अनुसूची–I

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016–100)	आधार वर्ष परिवर्त्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960–100)
जनवरी, 26	148.6	4.63X4.93X2.88	9768.75
फरवरी, 26	148.5	4.63X4.93X2.88	9762.18
मार्च, 26	149.1	4.63X4.93X2.88	9801.62
अप्रैल, 26	149.9	4.63X4.93X2.88	9854.21
मई, 26	150.8	4.63X4.93X2.88	9913.37
जून, 26	151.9	4.63X4.93X2.88	9985.69
			योग :–59085.82
वर्ष 2026 के प्रथम अर्धांश जनवरी,2026 से जून, 2026 का औसत–**59085.82÷6= 9847.63**			

Scanned with OKEN Scanner

अनुसूची–II

क्र0सं0	कामागारों की कोटि	स्तंभ 2 में वर्णित कामगारों की कोटि के लिए दिनांक– 01.09.2022 से प्रभावी दर	दिनांक– 01.10.2026 के पूर्व स्तंभ 2 में वर्णित कामगारों की कोटि के लिए के लिए लागू दर	न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी (रुपये में)	01.10. 2026 से लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें। (स्तंभ 4+5)
1	2	3	4	5	6
1	कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यो के लिए।	348.00	413.00	6.00	419.00 प्रतिदिन
2	ट्रेक्टर ड्राईवर एवं पम्प ऑपरेटर।	12587.00	14947.00	233.00	15180.00 प्रतिमाह
3	ट्रेक्टर खलासी/पम्प खलासी/ चौकीदार/ सिपाही/ हलवाहा।	9795.00	11633.00	181.00	11814.00 प्रतिमाह
4	कटनी		काटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा ।		

(1) मजदूरी संहिता, 2019 के अन्तर्गत उपरोक्त लागू दरें **01 अक्टूबर, 2026** से प्रभावी होगीं।

(2) उपरोक्त दरों की गणना औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तदर्थ रूप से की गयी है। मजदूरी संहिता, 2019 के अन्तर्गत राज्य परामर्शदात्री पर्षद के गठन के उपरांत इसपर पर्षद घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(3) न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से भाग देकर तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से गुणा करके प्राप्त किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(4) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(5) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि (Overtime) कार्य के लिए कामगार मजदूरी संहिता (बिहार) नियमावली, 2026 के नियम 06 एवं 07 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(6) पुरूष तथा स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

(संख्या–03 / CW –03 / 2026, श्र0सं0– 236) / 3 / 11 / 26

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03/11/2026

(उपेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव।

अधिसूचना

एस0 ओ0 – दिनांक का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

(संख्या–03 / CW –03 / 2026, श्र0सं0– 237) / 3 / 11 / 26

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03/11/2026

(उपेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

NOTIFICATION

S.O. Patna, Date

Exercising the powers conferred under Section 6 of the Code on Wages, 2019 (Act No. 19 of 2019), read with Rule 5 of the Code on Wages (Bihar) Rules, 2026, the Governor of Bihar please to fix the rates of minimum wages for workers to whom the provisions of the said Code are applicable.

Schedule-I appended to this Notification contains a calculation table for the months specified in Column 1 thereof, on the basis of which the minimum wage rates prescribed in Column 2 of Schedule-II shall be applicable to workers employed in agricultural operations, as indicated therein.

Schedule-1

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
January, 2026	148.6	4.63X4.93X2.88	9768.75
February, 2026	148.5	4.63X4.93X2.88	9762.18
March, 2026	149.1	4.63X4.93X2.88	9801.62
April, 2026	149.9	4.63X4.93X2.88	9854.21
May, 2026	150.8	4.63X4.93X2.88	9913.37
June, 2026	151.9	4.63X4.93X2.88	9985.69
Total			**59085.82**
First Half Yearly Average of the year January to June,2026. 59085.82÷6 =9847.63			

Scanned with OKEN Scanner

Schedule-II

Sl. No	Categories of Worker	Minimum Wages Fixed (In. Rs.) on Date-01.09.2022	Minimum Wages before date-01.10.2026	Amount of V.D.A. which is effective from the date-01.10.2026 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2026 Column (4+5)
1	2	3		4	5
1	All other agricultural operations except harvesting	348.00	413.00	6.00	419.00 PerMonth
2	Tractor Driver and Pump operator	12587.00	14947.00	233.00	15180.00 PerMonth
3	Tractor Khalasi / Pump Khalasi/ Choukidar/ Sipahi	9795.00	11633.00	181.00	11814.00 PerMonth
4	Harvesting	**One bundle in 10 bundle of harvested crops.**			

Note: 1. The above applicable rates under the Code on Wages, 2019, shall come into effect from **01 October 2026**.

2. The above rates have been calculated provisionally on the basis of the average All-India Consumer Price Index. After the constitution of the State Advisory Board under the Code on Wages, 2019, ex-post facto approval shall be obtained from the Board.

3. The monthly minimum wage rates shall be converted into daily wage rates by dividing them by 26, and the daily wage rates shall be converted into monthly wage rates by multiplying them by 26.

4. The above proposed minimum wage rates include the remuneration payable to employees for the weekly rest day falling within a period of seven days.

5. For work performed on the weekly rest day or on any other day as overtime, workers shall be entitled to receive wages in accordance with the provisions prescribed under Rules 06 and 07 of the Code on Wages (Bihar) Rules, 2026.

6. Male and female workers shall be entitled to receive wages at the same rate for the same work or work of a similar nature.

(No- 03 / CW –03 / 2026, L&R- 236 **)** 3/11/26

By the order of the Governor of Bihar,

Scanned with OKEN Scanner

03/11/2026
(Upendra Prasad)
Special Secretary.

ज्ञापांक–03/CW –03/2026, श्र०सं०–237 पटना, दिनांक– 3/11/26

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

03/11/2026
(उपेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव

ज्ञापांक–03/CW –03/2026, श्र०सं०–237 पटना, दिनांक– 3/11/26

प्रतिलिपि– निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरों, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

03/11/2026
(उपेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव

ज्ञापांक–03/CW –03/2026, श्र०सं०–237 पटना, दिनांक– 3/11/26

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग / सचिव, बिहार

Scanned with OKEN Scanner

चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना–01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविधालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियो से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने–अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

03/11/2026

विशेष सचिव।

ज्ञापांक–03/CW –03/2026, श्र०सं०– 237 पटना, दिनांक– 3/11/26

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/11/2026

विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner